न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश/एफ.टी.सी.द्वितीय,फैजाबाद।

सिविल अपील संख्या–143/2010
घनश्याम बनाम राम लाल दूबे आदि

30.10.2021,

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। अपीलान्ट की ओर से प्रार्थना पत्र 86क1 एवं 88ग2 अन्तर्गत क्रमशः आदेश–22 नियम–4 सपठित आदेश–6 नियम–17 एवं आदेश–22 नियम–4 उपनियम 5ख एवं नियम–9 जा0दी0 प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र में अपीलान्ट का अभिकथन है कि उपरोक्त अपील के रेस्पांडेन्ट संख्या–3 राम सहाय पुत्र गया प्रसाद की मृत्यु दिनॉक–20.04.2015 को दौरान मुकदमा हो गयी। मृतक के कोई विधिक व जायज वारिस नही है। अतः मृतक रेस्पाडेन्ट संख्या–3 राम सहाय का कायम मुकाम बनाने तद्नुसार मेमो आफ अपील में संशोधन करने की याचना की गयी है। प्रार्थना पत्र शपथपत्र 87ग2 से समर्थित है।

अपीलान्ट की ओर से प्रार्थना पत्र 88ग2 उपरोक्त अपील के रेस्पाडेन्ट संख्या–3 राम सहाय की मृत्यु दौरान मुकदमा दिनॉक–20.04.2015 को हो गयी गलती से पूर्व अधिवक्ता द्वारा कायम मुकामी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया प्रार्थी द्वारा नया अधिवक्ता नियुक्त करने पर उक्त कायम मुकामी प्रार्थना पत्र बिना बिलम्ब किये प्रस्तुत कर रहा है। उक्त गलती उपरोक्त परिस्थितियो में हुई है। अतः धारा–5मियाद अधिनियम का लाभ प्रदान करते हुए कायम मुकामी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुए बिलम्ब को क्षमा करके कायम मुकामी प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद मानकर स्वीकार करने की याचना की गयी है प्रार्थना पत्र, शपथपत्र 89ग2 से समर्थित है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से प्रार्थना पत्र के पृष्ठ पर यह पृष्ठाकन किया गया है कि प्रार्थना पत्र बिलम्ब से दिया है अतः हर्जे की मॉग की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया। प्रार्थी घनश्याम की ओर से प्रार्थना पत्र 86क1 मृतक के देहान्त के उपरान्त उनके विधिक वारिसान को कायम मुकाम नियुक्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। मृतक के कोई विधिक व जायज वारिस नही है। अतः अपील मेमो में जरिये संशोधन मृतक के आगे ''दौरान मुकदमा मृतक '' लिखने की याचना की गयी है। प्रार्थना पत्र शपथपत्र से समर्थित है एवं हुए बिलम्ब को क्षमा करने हेतु प्रार्थना पत्र 88ग2 प्रस्तुत किया गया है। उक्त वाद में विपक्षीगण की

ओर से कोई विरोध भी नही किया गया है मात्र हर्जे की मॉग की गयी है। मामले के तथ्य एवं परिस्थितियो को दृष्टिगत रखते हुए सम्यक न्याय निर्णयन हेतु न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। जहॉ तक बिलम्ब का कथन है तो उसकी प्रतिपूर्ति हर्जे से की जा सकती है।

आदेश

प्रार्थना पत्र 88ग2 मु0–250/–रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है, बिलम्ब क्षमा किया जाता है तद्नुसार प्रार्थना पत्र 86क1 स्वीकार किया जाता है। अपीलान्ट को आदेशित किया जाता है वह अपील में आवश्यक संशोधन अबिलम्ब करे। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनॉक–11.11.2021 को पेश हो।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
एफ.टी.सी. द्वितीय,फैजाबाद।